

राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

क्रमांक: प.1(8)प्राशि/2010

जयपुर, दिनांक: 2-11-10

- आज्ञा :-

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को इस विभाग के हस्तान्तरित स्टाफ के वार्षिक कार्य मूल्यांकन हेतु निर्धारित प्रक्रिया (प्रतिवेदन भरने /रिव्यू तथा प्रति-हस्ताक्षर आदि) के लिए निम्नानुसार चैनल निर्धारित किया जाता है :-

| गतिविधि | ग्राम पंचायत | पंचायत समिति | | | | जिला परिषद | | | |
|-----------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|---------------------|-------------------------|---|----------------------------------|
| | | अधिकारी/कर्मचारी | प्रतिवेदक अधिकारी | समीक्षक अधिकारी | स्वीकारकर्ता | अधिकारी/कर्मचारी | प्रतिवेदक अधिकारी | समीक्षक अधिकारी | स्वीकारकर्ता |
| वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन | - | ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी | जिला शिक्षा अधिकारी | मुख्य कार्यकारी अधिकारी | निदेशक/आयुक्त, प्रारम्भिक शिक्षा | जिला शिक्षा अधिकारी | मुख्य कार्यकारी अधिकारी | आयुक्त, प्रारम्भिक शिक्षा | प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा |
| | | अन्य स्टाफ | ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी | जिला शिक्षा अधिकारी, प्राशि | उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, संबंधित संभाग | अन्य स्टाफ | जिला शिक्षा अधिकारी | उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, संबंधित संभाग | निदेशक/आयुक्त, प्रारम्भिक शिक्षा |

Sd/

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ।
3. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, शिक्षा विभाग ।
4. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग ।
9. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
11. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग।
12. उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, समस्त संभाग।
13. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी।
14. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव